बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02/शमन–07(A)/2015, परि० पटना, दिनांक–..........................

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों को दिनांक–23.04.2019 के प्रभाव से अगले 6 (छः) माह के लिए तथा जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पदाधिकारियों को दिनांक–27.04.2019 के प्रभाव से बारह माह के लिये क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या–2906, दिनांक–26.04.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–2907, दिनांक–26.04.2019 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी ।

मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा शमन की उपर्युक्त धाराओं में कतिपय संशोधनोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–2906, दिनांक–26.04.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–2907, दिनांक–26.04.2019 में विनिर्दिष्ट धाराओं को मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की नवीन धाराओं यथा– 177, 177A, 178(3)(b), 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 199A एवं 201 से प्रतिस्थापित किया जाता है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–2906, दिनांक–26.04.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–2907 दिनांक–26.04.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. यह अधिसूचना दिनांक–01.09.2019 की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।
ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–07(A)/2015, परि० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–07(A)/2015, परि० 6497 पटना, दिनांक– 11/9/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय)/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना बिहार/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/मोटरयान निरीक्षक, पटना/प्रर्वत्तन अवर निरीक्षक, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/19
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।